राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(3)ग्रावि / नरेगा / ब.घोषणा / 2010 पार्ट–2 / 76177 जयपुर, दिनांक 14 DEC 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
समस्त, राजस्थान ।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना के संबंध में।

प्रसग :– विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.03.16, 02.08.16, 07.09.16 एवं 22.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुरूप पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के कम में निम्नलिखित निर्देश वित्त विभाग की आईडी संख्या 101703894 दिनांक 11.10.17 के क्रम में जारी किये जाते है :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सहायक को अकुशल मानते हुए 5026 / – रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाना निर्धारित है। अधिसूचना की टिप्पणी संख्या 6 (क) के अनुसार दो वर्ष कार्य करने वाले ऐसे समस्त अकुशल कामगार अर्द्धकुशल श्रेणी की दरों से मजदूरी पाने के हकदार होंगे। अतः उक्तानुसार संविदा पर कार्यरत सहायक को अर्द्धकुशल मानते हुए 5486 / – रूपये प्रति माह सहायक को मानदेय का भुगतान किया जाना है।
2. श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि किये जाने के माह में ही यदि किसी कार्मिक की वार्षिक वृद्धि होती है तो ऐसे कर्मचारी को प्रथमतः अनुबन्ध की शर्त के अनुसार वार्षिक वृद्धि देय की जावेगी। वार्षिक वृद्धि देय किये जाने के पश्चात् भी पारिश्रमिक राशि न्यूनतम मजदूरी राशि से कम रहती है तो उक्त राशि न्यूनतम मजदूरी की राशि तक बढायी जावेगी।

भवदीय

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

D:\sk chaudhary\General Letter.docx

Scanned by CamScanner